L.N.393-W/M-/Instruction/0/Vol-III

दिनांक -29/02/2024

मंडल कार्यालय आदेश 06/2024

समस्त मुख्य लोको निरीक्षक
एवं मुख्य क्रू नियंत्रक, जोधपुर एवं मेड़तारोड
समस्त लोकोपायलट, लोकोपायलट शंटर एवम सहायक लोकोपायलट

विषय- चालक दल द्वारा लोड/ट्रेन/लोको स्टैबलिंग की प्रक्रिया का सख्ती से पालन करना और लोको/ट्रेन का सही से चार्ज लेना

संदर्भ- दिनांक 25.02.2024 में फिरोजपुर मंडल के JAT-PTK सेक्शन के कठुआ स्टेशन से DN DMT ट्रेन की रोलिंग डाउन की घटना घटित हुई है ।प्राप्त जानकारी के अनुसार DN DMT ट्रेन कठुआ स्टेशन पर शंटिग एवं मार्शलिंग इत्यादि करके लोको PTK side on ट्रेन करके तथा प्रैशर तैयार करके working चालक दल द्वारा DN मेन लाइन नंबर 03 पर स्टेबल कर दिया था । चालक दल के ड्यूटी hours पूरे होने की वजह से कंट्रोल द्वारा crew को अवगत कराया गया कि आप लोको शट डाउन करके मेल गाड़ी से JAT लॉबी में स्पेयर जाकर ड्यूटी ऑफ कर दे । चालक दल द्वारा जल्दबाजी में ट्रेन से जाने की वजह से लोको शट डाउन करके लोड सिक्योरिंग नियमों के अनुसार नहीं किया गया इसके अलावा मौजूदा स्टेशन स्टाफ द्वारा भी लोड को properly सिक्योर नहीं किया ।

भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इस संबंध में मंडल में सभी लोको पायलेट्स एवं सहायक लोको पायलटस को काउंसलिंग करने के लिए एक स्पेशल ड्राइव 21 दिनों के लिए दिनांक **29.02.24 से 20.03.24** तक चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत सभी CLIs अपने-अपने नामित लोको पायलटस एवं सहा.लोको पायलटस को गंभीरता से निम्नलिखित काउंसलिंग करें:-

1." सभी चालक दल लोकोमोटिव/ ट्रेन का चार्ज (handling over-taking over) लोको कैब में ही करें ना कि इंजन कैब से उतरकर कहीं और साइड में"

2. स.नि.5.23(4)(अ) जब लोको पायलट ड्यूटी पर तैनात हो तो उसे लोको मानवरहित (अनमैंड) नहीं छोड़ना चाहिए| यदि उसे ऐसा करना पड़े तो उसे स्टेशन मास्टर/ यार्ड मास्टर से लिखित प्राधिकार पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्त सहायक नियम 5.23(3)(अ),(ब),(स) को सुनिश्चित करना चाहिए

3. स.नि.5.23(4)(ब) स्टेशन/यार्ड को छोड़ने से पूर्व लोको पायलट व् ट्रेन मेनेजर द्वारा स्टेशन मास्टर द्वारा मेनटेन किये जा रहे रजिस्टर में संयुक्त रूप सीई यह रिकॉर्ड किया जाना चाहिए कि लोको व लोड को उपरोक्त अनुसार सिक्योर कर दिया गया है|

4.लोको को ट्रेन के साथ स्टेशन/यार्ड में (स्टेबल) सुरक्षित रखना (सा.वस.नि.5.23)

A. सुनिश्चित करें कि वाहन/लोड फाउलिंग मार्क के अंदर है।
B. ट्रेन ब्रेक को A-9 के माध्यम से इमरजेंसी पोजीशन पर लगाये |
C. लोकोमोटिव को सुरक्षित करने के अलावा, वाहनों/लोड/ट्रेन को कम से कम दोनों सिरों पर दो चैनो, दोनों सिरों पर एक-एक चैन से बांधना और पैडलॉक किया जाना है|
D. कम से कम चार लकड़ी के गुटके/लोहे की स्किड का उपयोग किया जाना चाहिए,जो प्रत्येक सिरे पर सबसे बाहरी पहिए के जोड़ों के नीचे 2-2 लगाया जाए|
E. दोनों सिरों के कम से कम 6 वेगनो के हैंड ब्रेको को पूर्णतया कस दें| कोचिंग वाहनों के स्टेबल होने की स्थिति में एसएलआर में गार्ड के हैंड ब्रेक का अवश्य उपयोग किया जाए| हैंड ब्रेको को गार्ड के निजी पर्यवेक्षण में लगाया जाए और गार्ड की अनुपस्थिति में कार्यरत स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के निजी पर्यवेक्षण में लगाया जाए|
F. 1:400 से अधिक ढाल वाले स्टेशन पर लोड/ट्रेन को स्टेबल करते समय संबंधित स्टेशन के एस डब्ल्यू आर में उल्लिखित अतिरिक्त सावधानियां बरती जाएगी|

5. सहायक नियम 5.23(3) लोको सहित लोड/गाड़ी को स्टेबल किये जाने या लाइट इंजन को बंद या स्टेबल किये जाने पर लोको छोड़ने से पहले LP/ALP/LPS द्वारा की जाने वाली कार्यवाही –

(अ)- SA-9 तथा A-9 दोनों ब्रेक लगाना|
(ब)- पार्किंग ब्रेक तथा हैण्ड ब्रेक लगाना|
(स)- लोको में उपलब्ध वुडन वेज़ से लोको सिक्योर|

वरी.मंडल यांत्रिक इंजी.(Enhm&P)
उ.प.रेलवे,जोधपुर

प्रतिलिपि – मंडल रेल प्रबन्धक ,सादर सूचनार्थ
अपर मंडल रेल प्रबन्धक ,सादर सूचनार्थ
वरि.मंडल संरक्षा अधिकारी, सूचनार्थ
स.म.या.इंजी.(शक्ति), सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु